



HAMIRPUR POLICE



METICULOUS INVESTIGATION & PROSECUTION

“प्रभावी पैरवी कर चोरी के अभियोग में अभियुक्त को 2,000 के अर्थदण्ड व 13 माह की सजा दिलाई गई।”



श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के निर्देश पर चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विकशन अभियान के दृष्टिगत जनपद पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना व मा० न्यायालय में समयबद्ध रूप से साक्षियों का साक्ष्य कराकर, सार्थक पैरवी के फलस्वरूप, थाना कोतवाली नगर में पंजीकृत मु०अ०सं०- 93/2016 धारा-379,411 भा०द०सं० में सजा दिलाई गई।

उक्त अभियोग में मा० न्यायालय सीजेएम कोर्ट जनपद हमीरपुर द्वारा दोषसिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त नौशाद पुत्र मु० इस्लाम नि० जाजमऊ थाना फतेहपुर चौरासी जिला उन्नाव को दोषसिद्ध करते हुए 13 माह का कारावास व 2,000 रुपये के अर्थदंड से दण्डित किया गया।



अभियोजक-
पीओ श्री विकास



विवेचक-
निरी० देवेन्द्र कुमार
मिश्रा



पैरोकार- थाना
कोतवाली नगर
का० सोमनाथ